



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05032024-252615
CG-DL-E-05032024-252615

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 05]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 5, 2024/फाल्गुन 15, 1945

No. 05]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 5, 2024/PHALGUNA 15, 1945

रक्षा मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 मार्च, 2024

का.नि.आ. 05(अ).—केंद्रीय सरकार, छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) की धारा 4 की उपधारा(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार और छावनी परिषद्, शाहजहाँपुर से परामर्श करने के पश्चात्, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में वर्णित उक्त छावनी के कतिपय क्षेत्रों को पृथक करने और ऐसे क्षेत्रों का राज्य स्थानीय निकाय में विलय करने के अपने आशय की घोषणा करती है :-

सारणी

क्र. सं. (1)	पृथक किये जाने वाले क्षेत्रों के विवरण/सर्वे संख्या (2)
1.	7-3
2.	7-5
3.	7-6
4.	11
5.	71
6.	79 (I.I बाज़ार)
7.	85 (मोहल्ला दिलाजक)

8.	85 भाग
9.	103
10.	120

2. छावनी के किसी भी निवासी द्वारा उपरोक्त घोषणा पर कोई भी आपत्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से आठ सप्ताह के भीतर जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, मध्य कमान, लखनऊ – 226002, उत्तर प्रदेश के माध्यम से केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत की जा सकेगी।
3. पृथक किये जाने वाले क्षेत्रों के व्यौरों का निरीक्षण किसी भी कार्य दिवस में छावनी परिषद् कार्यालय में किया जा सकता है।

[फा. सं. 14 (44)/2023 - डी (क्यू एवं सी)]

राकेश मित्तल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th March, 2024

S.R.O. 05(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Cantonments Act, 2006 (41 of 2006), the Central Government, after consulting the State Government of Uttar Pradesh and Cantonment Board, Shahjahanpur, hereby declares its intention to exclude certain areas of the said cantonment described in column (2) of the Table given below and the merger of such areas with State local body:-

TABLE

Sl. No.	Description / Survey Numbers of areas to be excluded
(1)	(2)
1.	7-3
2.	7-5
3.	7-6
4.	11
5.	71
6.	79 (I.I Bazar)
7.	85 (Mohalla Dilazak)
8.	85part
9.	103
10.	120

2. Any objection to the above declaration by any inhabitant of a Cantonment may be submitted to the Central Government through the General Officer Commanding-in-Chief, Central Command, Lucknow-226002, Uttar Pradesh within eight weeks from the date of publication of this notification.
3. Details of the areas to be excluded can be inspected in the office of Cantonment Board on any working day.

[F. No. 14(44)/2023-D(Q&C)]

RAKESH MITTAL, Jt. Secy.